

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक :- प. 4(2)साप्र/5/14

जयपुर, दिनांक: 17/09/2014

:- आदेश :-


बजाजनगर अपार्टमेंट गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रुपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक जो भी पहले हो के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है :-

क्र. स.	नाम व पद	(ग्रेड-पे)	वरियता संख्या	सेवानिवृति दिनांक	राजकीय आवास संख्या
1	डा० मान सिंह मीणा पीआरओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (आईईसी), जयपुर।	5400/-	22/2013	31.10.2038	एच-96, बजाज नगर अपार्टमेंट बजाज नगर, जयपुर
2	श्रीमती लूसी डेविड, नर्स ग्रेड-II, जनाना अस्पताल, जयपुर।	4200/-	24/2013	31.03.2035	सी-31, बजाज नगर अपार्टमेंट, बजाज नगर, जयपुर
3	श्रीमती विमला चौधरी, गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर।	5400/-	28/2013	31.08.2046	ए-11-11, बजाज नगर अपार्टमेंट, बजाज नगर, जयपुर
4	श्रीमती मुनेश लाम्बा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।	6600/-	09/2014	31.07.2043	ए-2, बजाज नगर अपार्टमेंट, बजाज नगर, जयपुर
5	श्री विनोद शाह, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।	6600/-	12/2014	30.09.2016	बी-19, बजाज नगर अपार्टमेंट, गांधीनगर, जयपुर।
6	श्री रामगोपाल पारीक, मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (जी एण्ड टी एवं समन्वय विभाग), सचिवालय, जयपुर	7600/-	15/2014	30.06.2024	जी-75, बजाज नगर अपार्टमेंट, गांधीनगर, जयपुर।

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-


- आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटि के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटि अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटि को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटि के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(मुन्नालाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विद्युत वृत) जयपुर ।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर ।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल/मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर ।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर ।
10. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि ।
14. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग ।
15. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें ।
16. रक्षित पत्रावली ।


शासन सहायक सचिव 17/9/14